महाराष्ट्र शासन

क्रमांक : सीबीसी १०/२००४/प्र.क्र. २११ / मावक ५
सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व
विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन,
मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक : २२ मार्च, २००४

प्रति,

सर्व जिल्हाधिकारी
सर्व उप जिल्हाधिकारी,
सर्व उप विभागीय अधिकारी (महसूल),
सर्व विभागीय समाजकल्याण अधिकारी,
सर्व तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसिलदार,
सर्व मंत्रालयीन विभाग,

विषय : इतर मागासवर्गीय जाती मधील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गट (Creamy Layer) वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी <u>उत्पन्नाच्या निकषात सुधारणा करण्याबाबत.</u>

उपरोक्त विषयाबाबत उप सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोकशिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय, (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली यांनी मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांना लिहिलेल्या कार्यालयीन पत्र क्रमांक ३६०३३/३/२००४- इएसटीटी (आरइएस), दिनांक १५ मार्च, २००४ चे पत्र व त्यासोबतच्या सहपत्राच्या प्रती आपल्या माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी आपणाकडे पाठवित आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे).

२. केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सवलतीसाठी इतर मागासवर्गीय जातीमधील व्यक्तींना जातीची प्रमाणपत्रे देताना रुपये २.५० लाख सुधारीत उत्पन्न मर्यादा विचारात घ्यावी, ही विनंती.

(वि. वा. मेहेर)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

DJMS मुख्य सचिवांचे कार्यालय
दिनांक: 19 MAR 2004
No. CSO VIP - 2242

No.36033/3/2004-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, the 15th March, 2004

To

The Chief Secretary,
Government of Mahrashtra,
Mumbai.

Subject: Revision of Income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of this Department's OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated the 9th March, 2004 on the above noted subject for information and necessary action.

Yours faithfully,

(K.G. Verma)
Deputy Secretary to the Government of India.

No.36033/3/2004-Estt(Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi.
Dated: 9th March, 2004.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September, 1993 which inter alia provides that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above for a period of three consecutive years fall within the creamy layer and are not entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. It has been decided to raise the income limit from Rs. 1 lakh to Rs. 2.5 lakh for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M.:

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	INCOME/WEALTH TEST	Son(s) and daughter(s)of (a) Persons having gross annual income of Rs. 2.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years. (b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources or wealth which will bring them within the income /wealth criteria mentioned in (a) above. Explanation: Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

2 The provisions of this Office Memorandum take effect from the 4th February, 2004.

3 All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this Office Memorandum to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele: 23092797

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi.
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
9 National Commission for SCs and STs, Lok Nayak Bhavan, New Delhi
10. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
11. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
12. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi. (100 copies)
13. Spare copies – 400

संख्या - 36033/3/2004 - स्थापना (आरक्षण)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 2004

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपए अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपए करने का निर्णय लिया गया है । तद्नुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
vi	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पति कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं । (ख) श्रेणी I, II, III और V क. में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियाँ ।

स्पष्टीकरण :

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को **नहीं** जोड़ा जाएगा ।

2 इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 04 फरवरी, 2004 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के. जी. वर्मा)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष : 2309 2797

सेवा में,

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/ निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा-सचिवालय/ राज्य-सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/ राष्ट्रपति-सचिवालय/ प्रधान मंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
7. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय सरकार-कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-।, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
12. सूचना और सुविधा-केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियाँ - 400.